भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- #3332

उत्तर देने की तारीख- 29/03/2023

जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए आवंटित बजट

3332 # श्रीमती फुलो देवी नेतम:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय मंत्रालय को आवंटित किया गया बजट भारत के कुल बजट का कितना प्रतिशत है;

(ख) विगत पांच वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बजट के चेप्टर 10बी के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटित बजट के खर्च के लिए मंत्रालय से सुझाव लिए जाते हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन और इसका बजट के अध्याय 10ख में दर्शाए गए बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों का अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के अंतर्गत आवंटन और वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक भारत सरकार के कुल बजट आवंटन के संबंध में प्रतिशत आवंटन **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अध्याय 10ख अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन के संबंध में केंद्रीय बजट के 14 बजट दस्तावेजों में से 'व्यय प्रोफ़ाइल' में एक विवरण है। 2022-23 के लिए 'व्यय प्रोफ़ाइल' के अध्याय 10ख में 42 बाध्य मंत्रालय/विभाग हैं जिनके आवंटन को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए शामिल किया गया है।

वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष सितंबर के दौरान बजट परिपत्र में अजजा के कल्याण के लिए आवंटन के संबंध में मंत्रालय/विभागों को आवश्यक अनुदेश जारी करता है। ये अनुदेश नीति आयोग द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित होते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट/डेटा के आधार पर अजजा के कल्याण के लिए आवंटन के संबंध में विवरण 10ख तैयार किया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा https://stcmis.gov.in वेब पते के साथ बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत निधियों के आवंटन और उपयोग की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) समय-समय पर डीएपीएसटी निधियों वाले केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है ताकि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए निधियों के आवंटन, व्यय और प्रगति की समीक्षा की जा सके और डीएपीएसटी निधियों के बेहतर उपयोग के लिए उनका मार्गदर्शन किया जा सके।

अनुलग्नक

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट आवंटन		जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट आवंटन का % (भारत सरकार के बजट आवंटन के संबंध में)	(डीएपीएसटी)/अध्याय 10ख के तहत आवंटन		डीएपीएसटी को आवंटन का % (भारत सरकार के बजट आवंटन के संबंध में)
	जनजातीय कार्य मंत्रालय	भारत सरकार		जनजातीय कार्य मंत्रालय	बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों	
2017-18	5329.32	2146734.78	0.25	5300.14	31919.51	1.49
2018-19	6000.00	2442213.30	0.25	5957.18	39134.73	1.60
2019-20	6894.96	2786349.45	0.25	6847.89	52884.82	1.90
2020-21	7411.00	3042230.09	0.24	7355.76	53652.86	1.76
2021-22	7524.87	3483235.63	0.22	7484.07	79941.62	2.30
2022-23	8451.92	3944908.67	0.21	8406.92	89265.12	2.26

*डीएपीएसटी के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय और बाध्य आवंटन वाले उन मंत्रालयों/विभागों के बजटीय अनुदान केवल व्यय के योजना भाग से संबंधित होते हैं, जबकि सरकार के कुल बजटीय आवंटन में वेतन, पेंशन, वेतन (मजदूरी) पर व्यय और अन्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होता है।

*****